न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—482 / 2015 / 223 (2015 / 00030)

1. नन्द कंवर पत्नि रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झड़वासा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पुष्करसिंह पुत्र शोभाग कंवर पुत्री मूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भांवता, तह0 व जिला अजमेर ।
2. न्याल कंवर पुत्री मूलसिंह, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— श्रीमती दशरथ कंवर पत्नी भंवरसिंह,
   2 / 2— श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी गोविन्दसिंह,
   दोनों जाति राजपूत, नि0 मुख्य पास्ट सावली, वाया मौजमाबाद, जरिये गोपालसिंह ग्राम भांवता, तह0 व जिला अजमेर ।
   2 / 3— गोपालसिंह पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह,
   2 / 4— भगवानसिंह पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह,
   जाति राजपूत, निवासी ग्राम भांवता, तह0 व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती रतनी देवी पत्नी रामसुख गुर्जर, नि0 रसूलपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी कन्हैयालाल उर्फ कानसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बाघसुरी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती अनुपमा पत्नी देवेन्द्रसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बाघसुरी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती चन्ता पत्नी गोपाल, जाति गुर्जर, नि0 भैरूखेड़ा (मगरी), तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. सत्यनारायण पुत्र सूरज कंवर पुत्री मूलसिंह, निवासी ग्राम दांतड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 1.7.2015 .</u>

उपस्थितः—

1. श्री विभोर गोड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री लोकेन्द्रसिंह व श्री अनिल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 3.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 8.
4. श्री अनुज माथुर एवं श्रीमती गीतांजली राठौड़, वकील रेस्पो0 सं0 3 से 7.

निर्णय

दिनांकः— 20.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एव डिक्री दिनांक 1.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी पुष्करसिंह ने एक वाद संख्या 205/2011 वादी ने प्रतिवादी न्याल कंवर, नंद कंवर व सत्यनारायण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश किया । वादी ने वाद संख्या 205/11 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झड़वासा के खाता संख्या 59 किता 41 रकबा 143–18–10 आराजियात चौसाला पत्रावली संवत् 2023 से 2026 में गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी । गुमानसिंह के 3 पुत्रियां शोभाग कंवर, सूरज कंवर एवं न्याल कंवर हुई । शोभाग कंवर के वारिस वादी पुष्करसिं है, सूरज कंवर के वारिस प्रतिवादी सत्यनारायण है तथा न्याल कंवर के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है व न्याल कंवर की पुत्री नंद कंवर प्रतिवादी संख्या 2 है । विवादित आराजियात में गुमानसिंह की मृत्यु होने पर तीनों पुत्रियों का बराबर हक व हिस्सा निहित है । किन्तु झड़वासा के खाता संख्या 70/52 किता 24 रकबा 12.72 है0, खाता संख्या 484/160 किता 20 रकबा 6.83 है0, खसरा संख्या 1915/4936 रकबा 0.04 है0 पर गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह की विरासत तीनों पुत्रियों वादियागण के नाम दर्ज नहीं की है अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को 1/3 पर घोषित किया जावे व नंद कंवर पत्नि रघुवीर सिंह का नाम अपास्त कर आराजी पर वादी को हिस्सेदार घोषित किया जावे।

3. इसी प्रकार वादग्रस्त आराजियात बाबत् एक अन्य वाद संख्या 204/2011 प्रतिवादी नंद कंवर ने धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के पेश किया तथा वाद संख्या 205/11 में वादी पुष्करसिंह ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर दोनों वाद कन्सोलिडट किये गये । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.7.2015 को पारित कर अपने निर्णय में यह अंकित किया कि प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम झड़वासा के खाता संख्या 70/52 किता 24 रकबा 12.72 हे0, खाता संख्या 484/160 किता 20 रकबा 6. 83 है0 व खसरा नंबर 1915/4936 रकबा 0.04 है0 पर मृतक गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह की विरासत धारा 135 (2) राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के अनुसार नियमानुसार दर्ज की जावे एवं उक्त आराजी संबंधित मृतक गुमानसिंह द्वारा नंद कंवर पुत्री रघुवीरसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत पत्र की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही करावे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण न्यालकंवर, नपंदकंवर व सत्यनारायण पक्षकार थे। दिनांक 1.7.2015 को दौराने कैम्प कोर्ट अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुने बिना वादीगण के कहने पर वादपत्र का निस्तारण किया जबकि अपीलांट इस प्रकरण में पक्षकार थी क्योंकि अपीलांट को उसके मामा गुमानसिंह ने दिनांक 22.2.1984 को वसीयत की थी जिसका पंजीय उप पंजीयक, अजमेर के समक्ष कराया गया था इस वसीयत को किसी भी पक्षकार ने जानकारी होने के बाद सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया है जिससे तथाकथित वसीयत आज दिवस प्रभावी है । उक्त वसीयत की वैधता हेतु साक्ष्य होना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने वसीयत के संबंध में साक्ष्य लिये बिना वाद को कैम्प में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की माताजी श्रीमती शोभाग कंवर व प्रत्यर्थी संख्या 3 की माताजी श्रीमती सूरज कंवर के समक्ष व उनकी जानकारी में स्व0 गुमानसिंह ने वसीयत की थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में वसीयत के संबंध में कभी ऐतराज नहीं किया था और स्व0 गुमानसिंह का निर्धन सन् 2010 में हुआ तथा दोनों माताओं का निधन उनके पूर्व हुआ था । कैम्प कोर्ट एक लोक अदालत है जिसमें मुकदमें दोनों पक्षों के राजीनामे के आधार पर निस्तारित किये जाते है जबकि हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामे की कोई गुजांईश नहीं थी इसलिये हस्तगत प्रकरण का कैम्प कोर्ट में निस्तारण नहीं किया जा सकता था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादिया संख्या 1 न्याल कंवर जो कि उक्त अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 है उपस्थित नहीं रही थी इस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 30.12.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तलवाना भरने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 को अंतिम अवसर दिया इसके पश्चात् अखबार में साया करने हेतु प्रतिवादी संख्य 1 व 2 के विरूद्ध आदेश पारित किये गये । प्रतिवादी संख्या 1/वादी ने अखबार में साया करवाया लेकिन लिपिकीय त्रुटि से अपीलांट के वकील उपस्थित होने के बाद भी दिनांक 15.4.2015 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई लेकिन अपीलांट के अभिभाषक ने यह जानते हुए कि एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती न्याल कंवर के विरूद्ध हुई है उन्होंने आगामी पेशी दर्ज की । दिनांक 15.4.2015 के बाद दो पेशियों में अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी नहीं होने से कॉमन तारीख दी गई और तीसरी पेशी दिनांक 1.7.2015 कैम्प कोर्ट की दी गई । यदि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 के अभिभाषक को यह ज्ञान होता तो उसे दुरूस्त करवाते । उक्त त्रुटि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी तथा उनके अधिवक्ता व लिपिक की थी जिसका खामियाजा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं दिया जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि लोक अदालत की धारा 20 के अनुसार न्यायालय कार्यवाही करती है और अगर मामला दोनों पक्षों के मध्य समझौता या परिनिर्धारण नहीं किया जा सकता है तो उपधारा के अनुसार विधि के द्वारा निपटाये जाने हेतु प्रकरण को न्यायालय को पुनः लौटाया जाना चाहिये लेकिन अधी0न्याया0 ने धारा 20 के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थनमें आर0एल0डब्ल्यू0 2018 (2) पेज 999, ए0आई0आर0 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 3089 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दो वाद वाद संख्या 204/2011 नंद कवंर बनाम राज्य सरकार तथा वाद संख्या 205/2011 पुष्करसिंह बनाम न्याल कंवर विचाराधीन थे । अधी0न्याया0 द्वारा दोनो वादो को सम्मिलित किये जाने के आदेश दिनांक 19.12.2012 को पारित किय थे । दिनांक 15.4.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और वास्ते जवाब समायोजित वाद दिनांक 29.4.2015 को नियत किया गया । दिनांक 1.7.2015 को अधी0न्याया0 का कोर्ट कैम्प ग्राम झड़वासा में लगाया गया था जिसमें उपरोक्त पत्रावली भी नियत की थी । उक्त कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी संख्या मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जरिये अधिवक्ता इस प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करने का निवेदन किया । उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.9.2015 को तब हुई जब उसके मिलने वालों ने बताया कि उसके मुकदमे का निर्णय हो चुका है ।

तत्पश्चात् अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क कर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् दो राजस्व वाद क्रमशः वाद संख्या 204/2011 एवं 205/2011 प्रस्तुत हुए थे जिन्हें अधी0न्याया0 ने वैधानिक प्रकिया के तहत दिनांक 19.12.2012 को कन्सोलिडेट कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने दोनों राजस्व वादों के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि विधि अनुसार पृथक–पृथक अपील पेश करनी चाहिये थी । अपीलांट द्वारा दोनों वादों के विरूद्ध एक अपील पेश करने से अपील संधारण योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1281 पेश कर कथन किया कि दो वादों के विरूद्ध एक ही अपील करना करना वैधानिक रूप से गलत है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 में अपने अधिवक्ता के साथ दिनांक 29. 11.2011 को उपस्थित हुई थी तत्पश्चात् दिनांक 28.3.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं इसके बाद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष अग्रिम कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की भी जानकारी प्रारंभ से रही है इसके बावजूद जानबूझकर देरी से अपील पेश की है जो निरस्त योग्य है । अपीलांट द्वारा दो वादों के विरूद्ध एक ही अपील किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 7 ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 द्वारा वादग्रस्त जायदाद में अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.6.2017 तथा दिनांक 30.6.2017 को के द्वारा विक्रय कर कब्जा व स्वामित्व सुपुर्द कर दिया गया है । उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित आराजियात में रेस्पो0 का भी हक व अधिकार निहित है । प्रार्थीगण विवादित आराजियात के सद्भाविक क्रेता होकर क्रय अनुसार क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रार्थीगण/क्रेता के हितों को ध्यान में रखकर प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया ।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 19.12.2012 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 19.12.2012 के अनुसार वाद संख्या 204/2011 नंदकंवर बनाम राज0 सरकार विवादित भूमि के संबंध में भी विचाराधीन था । उक्त वाद संख्या 204/2011 को हस्तगत प्रकरण की अधी0न्याया0

की वाद पत्रावली संख्या 205/2011 में कन्सोलिडेट कर दिया गया तथा यह भी अंकित किया गया कि वाद संख्या 205/2011 के वादी पुष्करसिंह का वाद ही प्रकरण संख्या 204/2011 में उसका जवाब माना जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस पेश करने के आदेश किये गये। अधी0न्याया0 द्वारा कन्सोलिडेट वाद संख्या 204/2011 नंदकंवर बनाम सरकार का निर्णय भी दिनांक 1.7.2015 को किया गया है । विधिनुसार वाद संख्या 204/2011 एवं वाद संख्या 205/2011 भिन्न–भिन्न वाद थे तथा कन्सोलिडेशन के कारण दोनों वादों का निर्णय एक साथ किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि दो वादों के निर्णय की एक ही अपील पोषणीय नहीं है । इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर0आर0टी0 पेज 1281 हाई कोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार भी दो निर्णय की एक अपील को पोषणीय नहीं माना गया गया है । अपीलांट द्वारा वाद संख्या 204/2011 एवं 205/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2015 के विरूद्ध हस्तगत एक ही अपील पेश की गई है जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं मानी जा सकती है तथा अपील बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये पोषणीयता के आधार पर खारिज योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांटस पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर